



महोबा पुलिस

दिनांक- 23.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 918/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 23.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 23.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 919/26

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही: अण्डवारा के दो मंदिरों में हुई चोरी का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण, चोरी की मूर्तियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा ग्राम अण्डवारा स्थित दो मंदिरों में हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को चोरी किये गए सामान सहित गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 22.10.2026 को वादी श्री राम सहाय पुत्र हिन्दुपत राजपूत, निवासी ग्राम अण्डवारा, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा पंचायत भवन के पास स्थित मंदिर से भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं माता सीता की मूर्तियां तथा बड़ी माता मंदिर से घंटी, लोहे की जंजीर, आरती में प्रयुक्त ज्योति, छोटी घंटी, दो लोटा एवं अखण्ड ज्योति सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 244/2026, धारा 305(d) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी गए सामान की बरामदगी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस कार्यवाही:

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.10.2026 को ग्राम अण्डवारा गौशाला के पास से अभियुक्त मनीष मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार मिश्र, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम अण्डवारा, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दोनों मंदिरों से चोरी गई भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं माता सीता की मूर्तियां, लोहे की जंजीर सहित एक घंटी, आरती में प्रयुक्त होने वाली एक ज्योति, एक छोटी घंटी, दो लोटा तथा ऊपरी ढक्कन पर 'ॐ' अंकित एक अखण्ड ज्योति बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मनीष मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार मिश्र, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम अण्डवारा, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण:

- भगवान श्रीराम, लक्ष्मण एवं माता सीता की मूर्तियां।
- लोहे की जंजीर सहित एक घंटी।
- आरती में प्रयुक्त होने वाली एक ज्योति।
- एक छोटी घंटी/दो लोटा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उपनिरीक्षक रामबाबू यादव
2. हेड कांस्टेबल उत्तम सिंह
3. कांस्टेबल विक्की चौधरी
4. कांस्टेबल अमित कुमार





महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

दिनांक- 23.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 920/26

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 23.10.2026 को थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में क्रिमिनल केस संख्या 2457/2020, मु0अ0सं0 10/2019, धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित वारण्टी अभियुक्त लाखन सिंह पुत्र नत्थू उर्फ भानसिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी मोहल्ला दाऊपुरा, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा को उसके घर के दरवाजे के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

लाखन सिंह पुत्र नत्थू उर्फ भानसिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी मोहल्ला दाऊपुरा, कस्बा व थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

संबंधित अभियोग:

क्रिमिनल केस संख्या 2457/2020, मु0अ0सं0 10/2019, धारा 60 आबकारी अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 संदीप विमल, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

हे0का0 शिवदयाल, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

हे0का0 भूपेन्द्र कुमार, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।



